शांति नारायण बनाम जय दियाल और अन्य (एम. आर. शर्मा, जे.)

बात मान ली जाए, तो हम वैधानिक प्रावधानों पर कुछ हद तक संदिग्ध व्याख्या करके सिविल कोर्ट द्वारा पारित एक वैध डिक्री को रद्द कर देंगे। हम ऐसा करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की रक्षा करना हमारा गंभीर कर्तव्य है।

(1) उपरोक्त कारणों से, हम दृढ़ता से इस विचार पर हैं कि जिस मुकदमे से वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है, उस पर अपीलकर्ता के खिलाफ नीचे के विद्वान न्यायालयों द्वारा वैध रूप से विचार किया गया था और फैसला सुनाया गया था। हमें इस अपील में कोई ताकत नहीं दिखती इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

एस. एस. संधावालिया, सी. जे. - मैं सहमत हूं।

एन. के. एस.

बी.एस. ढिल्लों और जे.वी. गुप्ता, जे.जे., के सामने,

-प्रीतम सिंह, याचिकाकर्ता।

बनाम

कलेक्टर सिरसा और अन्य, प्रतिवादी।

1980 की सिविल रिट याचिका संख्या 1017।

16 फ़रवरी 1981.

पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) अधिनियम (1961 का XVIII) -धारा 4(3) (ii) -धारा 4(3) में प्रयुक्त 'व्यक्ति' शब्द (ii) क्या पूर्ववर्ती-हित में-व्यक्ति के संरक्षण का दावा शामिल है धारा 4(3) (ii) -उसके पूर्ववर्ती हितों का कब्ज़ा 12 वर्ष की अवधि की गणना के लिए निपटाया जा सकता है।

माना गया कि, पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1953 या पीईपीएसयू विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1954 के प्रारंभ में टी व्यक्तियों के खेती के कब्जे का

पता लगाने के लिए, उनके पूर्ववर्तियों के पहले के कब्जे- में -ब्याज, यदि कोई हो, को भी 12 वर्ष की अवधि की गणना करते समय ध्यान में रखा जा सकता है, बशर्ते कि यह निरंतर और बिना किसी रुकावट के हो। यह पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 के उद्देश्य के अनुरूप होगा जिसके तहत उन व्यक्तियों को छूट दी गई है जो 1953 अधिनियम या 1954 अधिनियम के प्रारंभ में कब्जे में हैं। इसके अलावा, सामान्य कानून के तहत भी,

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा
(1981)2

एक अतिचारी को भी अपने पूर्ववर्ती के कब्जे से निपटने का अधिकार है - प्रतिकूल कब्जे से अपने शीर्षक को पूरा करने के लिए, बशर्ते कि यह निरंतर और निर्बाध हो।

(पैरा 6)

आत्मा राम बनाम ग्राम सभा, 1977 पंजाब लॉ जर्नल 388 खारिज कर दिया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय अनुलग्नक पी-1 और पी-2 के आदेशों को रद्द करने के लिए परमादेश की रिट या उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा कर सकता है।

प्रस्ताव का नोटिस जारी करने की छूट दी जाए। अनुलग्नक पी-3 की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की भी छूट दी जा सकती है। आगे प्रार्थना की गई है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को विवादित भूमि से बेदखल करने पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ताओं के वकील टी.एस. संघा।

प्रतिवादियों की ओर से एच. एन. मेहतानी, वकील।

फैसला

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) यह रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दिनांक 25 सितंबर, 1979 (अनुलग्नक पी. 1) सहायक कलेक्टर, ग्रेड-1 डबवाली के आदेशों को रद्द करने के लिए दायर की गई है; और कलेक्टर, सिरसा; दिनांक 18 जनवरी 1980, (अनुलग्नक पृ. 2); पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 (इसके बाद इसे एक्ट कहा जाएगा) की धारा 7 के तहत याचिकाकर्ता को गांव खोखर, तहसील डबवाली, जिला सिरसा में स्थित किला नंबर 4/2 (019), 7/2 (6-0) और 14/2 (5-6) की 12 कनाल और 5 मरला भूमि से बेदखल करने का निर्देश देना है ।

2. इस मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं। याचिकाकर्ता, जो विवादग्रस्त भूमि पर कब्ज़ा कर खेती कर रहा है, दावा करता है कि वर्ष 1938-39 से लगातार बिना किराया भुगतान के वह उस पर कब्ज़ा कर रहा है, और परिणामस्वरूप, दावा करता है कि वह धारा 4 के तहत सुरक्षा का हकदार है। अधिनियम की (3) (ii) उक्त प्रावधान के आधार पर, भूमि ग्राम पंचायत, प्रतिवादी संख्या 3 में निहित नहीं है। अधिनियम की धारा 4(3) (i) नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:

> "पंचायतों और गैर-मालिकों में अधिकारों का निहित होना।
>
> (1) इसमें किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी कोई अन्य कानून जो फिलहाल लागू हो या किसी समझौते पर हो- उल्लेख, लिखत, प्रथा या उपयोग या कोई डिक्री या आदेश

> किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित जो भी भूमि में हों।
>
> (ए) जो किसी गांव के शामिलात देह में शामिल है और जो शामिलात कानून के तहत किसी पंचायत में निहित नहीं है, इस अधिनियम के प्रारंभ में, ऐसे गांव के लिए गठित पंचायत में निहित होगा, और, जहां ऐसी कोई पंचायत नहीं है ऐसे गांव के लिए गठित की गई, उस तारीख को पंचायत में निहित हो जाती है, जिस दिन उस गांव पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली पंचायत का गठन होता है।

(बी) : : : : :

:

(2) कोई भी भूमि जो शामलात कानून के तहत पंचायत में निहित है इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित मानी जाएगी।

(3) उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-धारा (2) में निहित कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करेगी या प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी

(i) : : : : : :

(ii) उन व्यक्तियों के अधिकार जो पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1953, या पीईपीएसयू विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1954 के प्रारंभ होने की तिथि पर शामिलात देह पर कब्जा कर रहे थे और ऐसे थे इस तरह के प्रारंभ पर बारह वर्षों से अधिक समय तक बिना लगान का भुगतान किए या भू-राजस्व और उस पर देय उपकर से अधिक शुल्क का भुगतान किए बिना कब्जा बनाए रखना।

(ii) : : : : : :

आक्षेपित आदेश में, (अनुलग्नक पी. 2), कलेक्टर ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया है, -

"अधिनियम की धारा 4 (3) (ii) के तहत, कोई भी व्यक्ति जो पिछले 12 वर्षों से बिना किराए के भुगतान के भूमि पर कब्जा कर रहा है इस अधिनियम के लागू होने से पहले

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा
(1981)2

यानि 26 दिसंबर, 1953, ऐसे व्यक्ति को शामलात से बेदखल नहीं किया जा सकता। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता का वर्ष 1942-43 से भूमि पर कब्जा था। लेकिन प्रदर्श डी-6 के अनुसार वर्ष 38-39

की जमाबंदी की नकल नंद सिंह के पास कब्जा में दर्शायी गयी है. अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि नंद सिंह अपीलकर्ता और इस के पिता कब्जे मैं थे। इसे भी अपीलकर्ता के कब्जे के रूप में गिना जाना चाहिए। मुझे खेद है कि शासनादेश 1977 पीएलजे 388 के अनुसार अपीलार्थी को इस कब्जे का लाभ नहीं दिया जा सकता। 42-43 से ही उसका कब्जा माना जायेगा और उसे इस अधिनियम की धारा 4(3)(ii) के अंतर्गत सुरक्षा नहीं मिल सकेगी."

3. प्रस्ताव की सुनवाई के समय, ग्राम पंचायत के विद्वान वकील श्री महतानी ने आत्मा राम उर्फ अट्टी मामले में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया। वि. ग्राम सभा, दिवाना, (1). चूंकि इसकी सत्यता पर संदेह था, इसलिए मामला डी.बी. में दाखिल किया गया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 4(3) (ii) में "व्यक्ति" शब्द में पूर्ववर्ती-हित के साथ-साथ वह व्यक्ति भी शामिल है जो खेती में है। प्रासंगिक समय पर, यानी 26 दिसंबर, 1953 को भूमि पर कब्ज़ा करना उक्त प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, संबंधित व्यक्ति को 1953 अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख पर शामिलात देह पर कब्ज़ा करना होगा, और उसे ऐसा करना होगा। इस तरह के प्रारंभ पर बिना किराया भुगतान किए या भू-राजस्व और उस पर देय उपकर से अधिक न होने वाले शुल्क के भुगतान पर 12 वर्ष से अधिक समय तक ऐसी खेती पर कब्जा रहेगा। यद्यपि यह एक तथ्य के रूप में पाया गया है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1942-43 से कब्जे में है, फिर भी उसे इस आधार पर अधिनियम की धारा 4 (3) (ii) के संरक्षण से वंचित कर दिया गया है कि वह इसमें नहीं था। अधिनियम के प्रारंभ के समय बारह वर्षों से अधिक समय तक कब्जा बनाए रखना। किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता का दावा है कि वर्ष 1942-43 से पहले का कब्ज़ा, वर्ष 1938-39 से उसके पिता नंद सिंह का रहा है, जैसा कि वर्ष 1938-39 की जमाबंदी से प्रमाणित है और इसलिए, उसका कब्ज़ा भी याचिकाकर्ता का कब्ज़ा माना जाएगा; वह उनका उत्तराधिकारी है। यदि ऐसा है तो याचिकाकर्ता का कब्ज़ा आवश्यकतानुसार 12 वर्ष से अधिक के लिए रहेगा

(1) 1977 पी.बी. लॉ जर्नल 388.

प्रीतम सिंह बनाम कलेक्टर सिरसा और अन्य (जे. वी. गुप्ता, जे.)

अधिनियम की धारा 4(3) (ii) के प्रावधानों के तहत आत्मा राम के मामले (सुप्रा) में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों की सत्यता को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा चुनौती दी गई है, -

> "हालांकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री हरभगवान सिंह ने तर्क दिया है कि जिस अवधि के लिए अपीलकर्ता के पूर्ववर्तियों का कब्जा था, जैसा कि राजस्व रिकॉर्ड में दिखाया गया है, इस उद्देश्य के लिए भी जोड़ा जा सकता है। इस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए कोई वारंट नहीं है। इस संबंध में दी गई रियायत केवल उन व्यक्तियों को है जो शामिलात देह पर कब्जा कर रहे हैं।"

5. अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि भले ही कोई व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व का दावा करता है, उसके पूर्ववर्ती-हित के कब्जे को प्रतिकूल द्वारा अपना शीर्षक पूरा करने के लिए निपटाया जा सकता है। कब्ज़ा और जोहान उराँव (एक्का) और अन्य बनाम सीताराम साओ (भगत) और, अन्य (2), और राजगोपाला नायडू और अन्य बनाम रामसुब्रमण्यम अय्यर और अन्य, (3) पर भरोसा किया गया। इंग्लैंड के हेल्सबरी के कानून, तीसरा संस्करण, खंड 24, पृष्ठ 255 पैराग्राफ 490 का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें लिखा है: -

> "प्रतिकूल कब्जे वाले व्यक्ति की स्थिति। एक व्यक्ति जिसके पास स्वामित्व के बिना भूमि का कब्जा है; जब तक वह कब्जे में रहता है, और वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले, संपत्ति में एक संक्रमणीय हित होता है जो कि सही को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ अच्छा होता है मालिक, लेकिन एक ऐसा हित जो किसी भी क्षण सही मालिक के प्रवेश से पराजित होने के लिए उत्तरदायी है; और, यदि ऐसे व्यक्ति को उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा कब्जा प्राप्त हो जाता है, जो वैधानिक अवधि की समाप्ति तक

ऐसा उत्तराधिकारी रखता है तब उसे कब्जे का उतना ही अच्छा अधिकार है जितना कि उसने स्वयं पूरी अवधि के लिए कब्जा कर रखा था।"

कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, खंड 2, पृष्ठ 686, धारा 129 में भी, इस मामले से निपटा गया है और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रदान किया गया है कि प्रतिकूल संपत्तियों को एक निरंतर कब्जे में निपटाने के लिए आवश्यक निजता केवल कब्जे की निजता है, नहीं आवश्यकता- शीर्षक की निजता। यह निजता वहां भी मौजूद हो सकती है जहां

(2) ए.आई.आर. 1964 पटना 31.

(3) ए.आई.आर. 1935 मद्रास 449.

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा
(1981) 2

उत्तराधिकारी को अपने पूर्ववर्ती से कानून के संचालन के साथ-साथ पूर्ववर्ती के कार्य द्वारा अपना कब्ज़ा प्राप्त होता है, बशर्ते कि कब्जे की ऐसी निरंतरता हो जो सच्चे मालिक के रचनात्मक हस्तक्षेप को भी रोक दे।

6. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी सुविचारित राय है कि अधिनियम की धारा 4(3) (ii) के तहत 1933 अधिनियम के प्रारंभ में व्यक्तियों के खेती के कब्जे का पता लगाने के लिए, 12 वर्ष की अवधि की गणना करते समय उनके पूर्ववर्तियों के हित में पूर्व स्वामित्व, यदि कोई हो, को भी ध्यान में रखा जा सकता है, बशर्ते कि यह निरंतर और बिना किसी रुकावट के रहा हो। यह अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप होगा जिसके तहत उन व्यक्तियों को छूट दी गई है जो अधिनियम के प्रारंभ में कब्जे में थे, और आम तौर पर या तो गैर-मालिक या छोटे भूमि मालिक हैं। इसके अलावा, सामान्य कानून के तहत भी, एक अतिचारी भी अपने पूर्ववर्ती के कब्जे से निपटने का हकदार है- प्रतिकूल कब्जे से अपने शीर्षक को पूरा करने के लिए, बशर्ते कि यह निरंतर और निर्बाध रहा हो, जैसा कि जोहान उराँव के मामले में आयोजित किया गया था (सुप्रा) और राजगोपाला नायडू का मामला (सुप्रा)। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया

है, इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों और कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम का संदर्भ भी इस संबंध में काफी प्रासंगिक है।

7. मामले के इस दृष्टिकोण में, आत्मा राम के मामले (सुप्रा) में व्यक्त दृष्टिकोण को गलत माना जाता है।

8. ऊपर दर्ज कारणों से, यह रिट याचिका सफल होती है और सहायक कलेक्टर और कलेक्टर के आदेश, अनुलग्नक पी. 1 और पी. 2 को रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, पार्टियाँ अपना खर्च स्वयं वहन करेंगी।

बी.एस. ढिल्लों, जे. - मैं सहमत हूं।

एस. सी. के.

एस.एस. संधावालिया, सी.जे., के सामने

महंत स्वर्ण दास ---वादी

बनाम

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, प्रतिवादी

1971 के आदेश क्रमांक 315 से प्रथम अपील।

24 फ़रवरी 1981.

सिख गुरुद्वारा अधिनियम (1925 की आठवीं) धारा 8 याचिकाकर्ता चेला के रूप में उत्तराधिकार द्वारा महंत के वंशानुगत पद का दावा कर रहा है-कोई दलील नहीं

(अस्वीकरण: स्थानीय भाषा मैं अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मैं इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

रणबीर सिंह अनुवादक